न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

गणेशराम पुत्र पुनमाराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी–डबाणी, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेववदर, जिला– सिरोही
2. हराराम पुत्र पुनमा जी, जाति–मेघवाल, निवासी–डबाणी, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
3. चुनाराम पुत्र पुनमा जी, जाति–मेघवाल, निवासी–डबाणी, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
4. थानाराम पुत्र पुनमाजी, जाति–मेघवाल, निवासी–डबाणी, तह. रेवदर, जिला–सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 44/2021

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 मई, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम डबाणी, पटवार हल्का डबानी के स्वीकृत नामान्तरण संख्या 423 दिनांक 19.6.1989 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से अपील का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने अपील में अंकित तथ्यों में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम डबानी, पटवार हल्का डबाणी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के खसरा संख्या 533 रकबा 4.17 बीघा, खसरा संख्या 661 रकबा 5.12 बीघा, 517 रकबा 8.04 बीघा व 67 रकबा 2.05 बीघा भूमि श्रीमती सोनी पत्नि दौलाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– डबाणी की खातेदारी कृषि भूमि थी। इस कृषि भूमि में से कुछ भूमि बेचान हो जाने से वर्तमान जमबान्दी अनुसार खसरा संख्या 67 रकबा 2.0500 हेक्टेयर, खसरा संख्या 517/893 रकबा 6.09 हेक्टेयर, 533 रकबा 4.17 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 661 रकबा 0.1200 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा [illegible] 03 बिस्वा भूमि है। उक्त वर्णित कृषि भूमि श्रीमती सोनी [illegible] डबाणी के नाम से दर्ज थी। श्रीमती सोनी की मृत्यु वर्ष 1989 में हो चुकी है एवं सोनी पत्नी दौलाजी

....पेज

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:39 IST
Reason: SelfAttested

नाऔलाद फौत हुई थी, जिसके कोई सन्तान नही थी एवं दौलाजी व उकाजी दोनों भाई थे और उकाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पुनमाजी थे और पुनमाजी को मृत्यु होने पर उनके चार पुत्र अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 है, जिसकी वंशावली अनुसार भलाजी के दो पुत्र उका जी व दौलाजी, उकाजी के पुत्र पुनमाजी एवं दौला जी की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी श्रीमती सोनी थी, जो नाऔलाद फौत हुई है। पुनमाजी पुत्र उकाजी के पुत्र हराराम, चुनाराम, गणेशराम व थानाराम (अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4) है। दौला जी के भाई उका जी है एवं उका जी के पुत्र पुनमा जी है, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। पुनमाजी के चार पुत्र अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 है जो रिश्ते में श्रीमती सोनी के भतीजे लगते है एवं इनसे निकट रिश्ते में अन्य कोई नही है। श्रीमती सोनी पत्नि दौलाजी के नाऔलाद फौत हो जाने पर श्रीमती सोनी पत्नि दौलाजी की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में दायर किया जाना चाहिये था, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों से मेल मिलाप कर सोनी पत्नि दौलाजी के नाऔलाद फौत होने पर उसकी कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने अपने पक्ष में दायर करवाकर स्वीकृत करवा लिया, जो विधि सम्मत नही है। श्रीमती सोनी पत्नि दौलाजी की कृषि भूमि में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 का समान रुप से हक अधिकार व हिस्सा बनता है तथा मौके पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रश्नगत नामान्तरकरण में पुनमाजी की जो वंशावली हल्का पटवारी, डबानी द्वारा दर्शाई गई है उसमें पुनमाजी के दो पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को ही बताया गया है, जबकि पुनमाजी के चार पुत्र अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 है। भू अभिलेख निरीक्षक को भी इस तथ्य की भलीभांति जानकारी थी कि पूनमाजी के चार पुत्र है, उसके बावजूद भी भू अभिलेख निरीक्षक ने भी सही रुप से जांच नही कर पुनमा जी के केवल दो पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः हरा व चुना को ही बताया है, जबकि पुनमाजी के चारों पुत्र जीवित है। अपीलार्थी इस विश्वास में रहा कि श्रीमती सोनी पत्नि दौलाजी की मृत्यु के बाद उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया होगा एवं अपीलार्थी के बडे भाई प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने अपीलार्थी को यह विश्वास दिलाया था कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और बडे भाई पर अविश्वास करने का कोई कारण नही था तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के मध्य दिनांक 23.5.2019 को पारिवारिक समझौते का लिखतनामा लिखा गया था कि विवादित भूमि व अन्य भूमि जिसमें सभी का 1/4 हक हिस्सा बराबर-बराबर रहेगा एवं सभी का समान रुप से बंटवाडा किया जायेगा एवं कोई भी अपनी मर्जी से बेचान ही कर सकेंगे। इस लिखतनामें पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने गवाहों के सक्षम हस्ताक्षर एवं अंगूष्ठ निशानी कर लिखतनामे को तहरीर व तकमिल करवाया है। इस लिखतनामें से भी अपीलार्थी को यह विश्वास था कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होगा। यह कि अपील प्रस्तुत करने से कुछ दिनों पहले अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को बंटवाडे करने को कहा, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 टालमटोल करते रहे व कोई बहाना बनाकर टालते रहे, ताकि अपीलार्थी को यह विश्वास बना रहे कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:39 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज नही हे। अपीलार्थी द्वारा बार-बार कहने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3 द्वारा बंटवाड नही करने पर अपीलार्थी को संदेह होने पर दिनांक 08.11.2021 को हल्का पटवारी के पास गये एवं जमाबंदी की नकल की मांगनी की, जिस पर नकल मिलने पर प्रथम बार अपीलार्थी को जानकारी हुई कि श्रीमती सोनी पत्नि दौलाजी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हुआ है। अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर जानकारी तिथि से 30 दिन के भीतर अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करके अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 423 दिनांक 19.6.1989 को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खसरा संख्या 517/893 की रकबा 6.09 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा रमेश कुमार पुत्र आलाराम जी मेघवाल, निवासी- गुलाबगंज को पूर्व में बेचान की जा चुकी है। शेष भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी की है। सोनी पत्नि दौलाजी की सेवा चाकरी हराराम व चुनाराम ने ही की थी ओर समाज के समक्ष सोनीबाई ने उक्त भूमि हराराम व चुनाराम को दे दी थी औरा जिससे दोनों भाईयों के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ, परन्तु बाद में पिताजी की मृत्यु होने पर अपीलार्थी ने सोनी बाई की भूमि में हिस्सा चाहा और अपीलार्थी ने आपत्ति की थी और झगडा फसाद किया, तब पुनमाजी की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 61, 68, 530/900, 540 व 649 की रकबा 16 बीघा भूमि में से हराराम व चुनाराम द्वारा दोनों भाईयों थानाराम व गणेशराम के पक्ष में हकतर्क करना पारिवारिक रुप से तय किया था और जिससे हराराम व चुनाराम ने दिनांक 06.9.2017 को जरिये हकतर्क विलेख के अपना हक पारिवारिक समझौते अनुसार निकाला जिससे उनके पिता पुनमारामजी की भूमि में प्राप्त अपना हिस्सा हराराम व चुनाराम के द्वारा गणेशराम के पक्ष में हर्क त्याग किया तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की बहनों ने स्वयं मी मनमर्जी से उनके हक हिस्से की भूमि पारिवारिक समझौते अनुसार प्रत्यर्थी संख्या-4 के पक्ष में हक त्याग की सहमति दी। इस प्रकार, श्रीमति सोनी देवी पत्नि दौलाजी की कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की रही तथा पुनमारामजी की पुश्तैनी भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-4 के हक हिस्से में रही। अपीलार्थी ने पुनमाराम जी की पुश्तैनी भूमि में से भी थानाराम का 1/4 हिस्सा भी उसे मुगलातें में रखकर हडप कर लिया है और अपना हिस्स दोनों भाईयों हराराम व चुनाराम से हक त्याग के जरिये प्राप्त कर अब प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, जो गलत हे। यह कि अपीलार्थी को शुरु से ही प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी रही है जिससे अपीलार्थी का ना तो 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक है एवं न ही अपीलार्थी का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार निहीत ही हुआ है, क्योंकि सोनीबाई की [illegible] से दोनों भाईयों को सोनी देवी की भूमि प्राप्त हुई थी जिसमें अपी[illegible] कोई हक अधिकार नही है। यह कि प्रत्यर्थी हराराम व [illegible] कर भूमि को

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उपजाउ बनाया है, जिससे अब अपीलार्थी के मन में खोट आने से तथा जमीनों की कीमत अधिक होने से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध गलत रुप से अपील प्रस्तुत की है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने अपने खातेदारी की भूमि को बेचान किया गया है जिसमें अपीलार्थी का किसी प्राकर का कोई हक हिस्सा नही है, जो वैध रुप से किया गया है। नामान्तरकरण एक फिजकल प्रोसेडिंग है, जिसके आधार पर हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अपील जानकारी तिथि से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। वैसे भी जहां कूननी बिन्दु पर अपील या निगरानी प्रस्तुत होती है वहां मियाद का बिन्दु मायने नही रखता है। हक तर्क नामे में भी बंटवाड का उल्लेख है। नामान्तरकरण पूनमाजी की मौत के बाद दोनों भाईयों के नाम से ही क्यों दर्ज हुआ, जबकि चारों भाईयों के पक्ष में दर्ज होना चाहिये था। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खातेदार श्रीमती सोनी पत्नि दोलाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हुआ है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया ग्राम डबानी, पटवार हल्का डबानी के खसरा संख्या 533 रकबा 4.17 बीघा, खसरा संख्या 661 रकबा 5.12 बीघा, खसरा संख्या 517 रकबा 8.04 बीघा एवं खसरा संख्या 67 रकबा 2.05 बीघा कुल किता 4 रकबा 21.03 बीघा भूमि की खातेदार श्रीमती सोनी पत्नि दौलाजी की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, डबाणी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 423 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 19.6.1989 को प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 423 दिनांक 19.6.1989 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.11.2021 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 423 दिनांक 19.6.1989 को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 423 दिनांक 19.6.1989 के संबंध में सर्वप्रथम दिनांक 08.11.2021 को जानकारी होना बताते हुए जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य [illegible] साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 423 [illegible] 1989 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी हो। ऐसी स्थिति [illegible] में हुआ विलम्ब

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 आपस में सगे भाई है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज लिखतनामा दिनांक 23.5.2019 की छाया प्रति (जो अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है) के अवलोकन से यह पाया कि हराराम, चुनाराम, गणेशराम, थानाराम पुत्रगण पुनमाराम जी द्वारा गवाहों की उपस्थिति में एक लिखतनाम निष्पादित किया, जिसके अनुसार इन चारों भाईयों के बीच में 1/4 - 1/4 भूमि समान रुप से बंटवाड की जायेगी। इसी तरह, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हक त्याग (रिलीज डीड) दिनांक 06.9.2017 की छाया प्रति (जो प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत की गई है) के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम डबाणी, पटवार हल्का डबाणी के खसरा संख्या 61 रकबा 2.02, खसरा संख्या 68 रकबा 2.05 बीघा, खसरा संख्या 530/900 रकबा 2.04 बीघ, खसरा संख्या 540 रकबा 3.00 बीघा व खसरा संख्या 649 रकबा 6.09 बीघा कुल किता 5 रकबा 16.00 बीघा भूमि जो राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज है में से प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 क्रमशः हराराम व चुनाराम ने अपने हक हिस्से की भूमि का अपीलार्थी गणेशराम के पक्ष में हक त्याग किया गया है, इस दस्तावेज पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के हस्ताक्षर किये हुये है। हालांकि यह दस्तावेज पंजीकृत नही है, परन्तु इस दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त कृषि भूमियों के संबंध में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3 के मध्य आपस में सहमति से बंटवाड हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसके जरिये अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ही करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:39 IST
Reason: SelfAttested